समाचार पत्रिका

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस

पोर्ट ब्लेयर संख्या : 2/2010

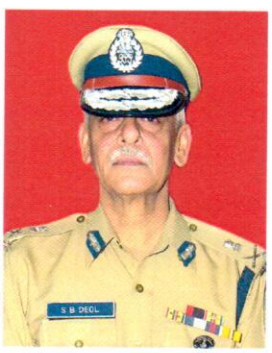

पुलिस महानिदेशक का संदेश

पिछले छः माह के दौरान सभी सेवा संबंधी मामलों में निष्पक्षता बरतने का भरसक प्रयास किया गया। पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण लक्ष्य को ध्यान में रखकर तथा स्पष्टता कारण दर्शाते हुए किया गया । सभी रिक्त पदों को तत्काल भरना हमारी प्राथमिकता रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा तत्काल भरा गया । अवकाश प्रदान करने की प्रक्रिया तथा जरावा सुरक्षा चौकी, पुलिस चौकी तथा प्रहरी चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों के कल्याण संबंधी वस्तुओं की खरीद संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाया गया, इसी प्रकार प्रहरी चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों के तैनाती की अवधि को युक्ति संगत बनाया गया।

मैंने बिल्ली ग्राउंड, डिग्लीपूर में नव निर्मित पुलिस थाना भवनों तथा पुलिस चौकी रेस्ट कैंप का उद्घाटन किया।

यदि हम द्वीप वासियों तथा अपने दायित्वों के प्रति 'पुराने' मनोवृति को कायम रखते हो तो नए भवन से कोई बदलाव नहीं आ सकता । आज जबकि सभी संस्थान (आकाशवाणी तथा भारतीय स्टेट बैंक) अपनी सेवाओं में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सोच आज भी उसी चरण में है जो कि 30–40 वर्ष पहले थी ।

'शक्ति' का व्यर्थ प्रदर्शन, अनावश्यक अभद्रता, अपशब्दों का प्रयोग तथा मदद न करने कि प्रवृति अभी भी हमारी 'पुरानी' सस्कृति की देन है जो कि वास्तव में हमारी सामूहिक हीन भावना की देन है ।

पुलिस बल के इस प्रकार के सदस्य आम जनता को परेशान कर अथवा पैसे ऐंठ कर हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं तथा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इन लोगों की पहचान कर, उन्हें दण्डित करना होगा तथा पुलिस बल के कर्मियों द्वारा इस प्रकार के कर्मियों का बहिष्कार करना होगा, जो अपने विधर्मी कार्यों से संपूर्ण पुलिस बल को कलंकित करते हैं। पुलिस कर्मियों को अभी काफी अच्छा वेतन दिया जा रहा है तथा इसे हम खुले हाथों से कृतज्ञता के बिना स्वीकार कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हमें दिए जा रहे सुविधाओं के अनुरूप हमें भी द्वीप वासियों तथा राष्ट्र को बेहतर सेवा प्रदान करना है ।

जय हिन्द

(शमशेर बहादुर सिंह दयोल)

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस में 171 रंगरूट भर्ती

दिनांक 09/06/2010 को प्रशिक्षण विद्यालय से प्रशिक्षित 171 रंगरूटों (162 कार्यकारी पुलिस तथा 9 अग्निशमन) का भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन पुलिस लाईन में किया गया । इस कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप राज्यपाल, लेफ्टेनेंट जनरल (अवकाश प्राप्त) भूपिन्दर सिंह, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक मुख्य अतिथि थे । मुख्य अतिथि महोदय ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली तथा नए उत्तीर्ण सिपाहियों को ट्राफी तथा पुरस्कार वितरित किया।

अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने प्रशिक्षु सिपाहियों को बधाई दी तथा उन्होंने कहा कि कानून व व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य आम नागरिकों तथा समाज की रक्षा करना है । उन्होने आगे कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत विधि विधान प्रयोगशाला, अंगुल छाप ब्यूरो, श्वान दस्ता तथा बम निपटान दस्ता की स्थापना की गई तथा सभी अनुभागों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है । आतंकवाद को देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा आतंकवाद रोधी

दस्ता तैयार किया है जिसमें 138 भारत आरक्षी वाहिनी के कर्मियों को कमांडो प्रशिक्षण दिया गया है। आतंकवाद रोधी दस्ता के लिए आधुनिक शस्त्र एवं गोला बारूद भी खरीदा जा रहा है ।

इन द्वीपों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन के संबंध में उपराज्यपाल ने सक्षम यातायात प्रबंधन व्यवस्था तथा पर्यटक हितैषी पुलिस की आवश्यकता पर बल दिया।

पुलिस रंगरूटों ने भव्य मोटर साइकिल तथा मार्शल आर्ट (यू.ए.सी.) का भी प्रर्दशन किया जिसने दर्शकों को मन्त्र मुग्ध कर दिया ।

इस समारोह में इन द्वीपों के सांसद श्री बिष्णु पद रे, मुख्य सचिव श्री विवेक रे तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण एवं रंगरूटों के मित्र व परिजन उपस्थित हुए।

पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्तरी अण्डमान तथा कैंपबेल बे में नव निर्मित पुलिस थाना भवन का उद्घाठन

दिनांक 30/05/2010 तथा 31/05/2010 को श्री शमशेर बहादुर सिंह दयोल, भा.पु.से, पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह द्वारा डिग्लीपूर तथा बिल्लीग्राउंड में पुलिस थाना तथा पुलिस चौकी रेस्ट कैंप का उद्घाठन किया।

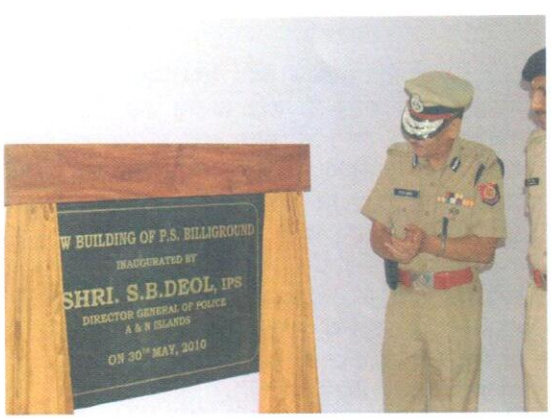

आम जनता से विचार–विमार्श करते हुए श्री. शमशेर बहादुर सिंह दयोल ने सूचित किया कि डिग्लीपुर में पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि महिलाओं के लिए शीघ्र ही परामर्श केन्द्र का आरंभ किया जाएगा।

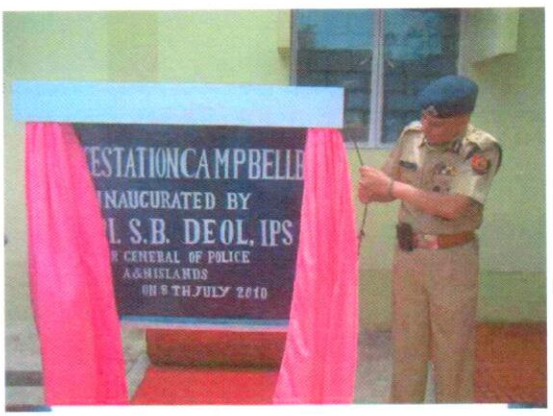

दिनांक 08/07/2010 को पुलिस महानिदशक द्वारा पुलिस थाना कैंपबेल बे के नव निर्मित भवन का उद्घाठन किया।

दिनांक 16/07/2010 को प्राथरापुर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए सभी सुविधा से लैस नव निर्मित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का उद्घाठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण

दिनांक 19/04/2010 को श्री संजय बेनिवाल, भा.पु.से. ने अण्डमान तथा निकोबार पुलिस में पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार ग्रहण किया ।

उन्होंने श्री ताज हसन,भा.पु. से पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर कार्यभार संभाला जिनका स्थानातंरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ।

डॉ.ए.के. सिंह, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक (निकोबार) का स्थानातरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ तथा वे दिनांक 01/06/2010 को कार्यमुक्त हुए। श्री मन्दीप सिंह रंधावा, भा.पु.से ने दिनांक 07/07/2010 को पुलिस अधीक्षक (जिला) निकोबार का कार्यभार ग्रहण किया।

दाह संस्कार व्यय बढ़ाया गया

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस कल्याण प्रणाली के अर्न्तगत किसी भी प्रकार से मृत्यु की स्थिति में दाहसंस्कार के लिए दी जाने वाली राशि दिनांक 08/07/2010 से रू. 5000 से बढ़ा कर रू. 10.000/– कर दी गई।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस में भर्ती

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही (कार्यकारी) के रिक्त 525 पदों को भरने हेतु भर्ती सूचना जारी किया गया। इनमें से अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 63 पद आरक्षित है तथा शेष 262 पद सामान्य वर्ग के लिए श्रेणी बद्ध किया गया है। इस पद के लिए दिनांक 6 जुलाई 2010 को पुरूष उम्मीद्वार को 18–25 वर्ष तथा महिला उम्मीदवार को 18–30 वर्ष का होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष तथा महिला उम्मीदवारों के ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा पास है । उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में भाग लेना होगा।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा कॉर्बाइन्स कोव तथा वन्डूर समुद्र तट की सफाई

दिनांक 24 /07/2010 को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारियों, कर्मियों तथा 140 रंगरूटों ने कॉर्बान्इस कोव समुद्र तट में सफाई अभियान चलाया तथा वहॉ से भारी मात्रा में प्लास्टिक तथा ग्लास की बोतले, पॉलिथिन बैग तथा रैपर्स को हटा कर उसके नॅसर्गिक सौदर्य को पुनः स्थापित किया। इसी प्रकार 31/07/2010 को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारियों, कर्मियों तथा 118 रंगरूटों ने वन्डूर समुद्र तट की सफाई की।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा पोर्ट ब्लेयर स्थित नेताजी स्टेडियम तथा कार निकोबार स्थित बिशप जॉन रिचर्डसन स्टेडियम में भव्य मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन

पुलिस–जनता संबंध में सशक्तिकरण तथा मनोरंजन के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा पहली बार दिनांक 30/04/2010 को एक निशुल्क भव्य मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिनांक 10/05/2010 को पहली बार तमालू ग्राम, कार निकोबार स्थित जॉन रिचर्डसन स्टेडियम में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम में नए तथा पुराने धुनों पर गीत तथा नृत्य का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में लगभग 3000 लोग उपस्थित हुए।

दोनो स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम की आम जनता द्वारा सराहना की गई। मानसून के उपरान्त कैंपबेल बे, डिग्लीपुर, मायाबन्दर तथा रंगत में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन का प्रस्ताव हैं।

अग्निशमन सप्ताह

दिनांक 14 से 20 अप्रेल 2010 तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत स्मृति दिवस परेड तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, विद्यालयों तथा ग्रामीण सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि में भाषण तथा आग बुझाने का प्रदर्शन किया गया। स्कूली बच्चों के लिए चित्रकारी तथा रंगसाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर विभिन्न अग्निशामकों के प्रयोग को दर्शाया गया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वारा मादक द्रव्य कुप्रयोग तथा अनैतिक व्यापार पर अन्तर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन

दिनांक 26/06/2010 को आम जनता में जागरूकता तथा इसके दुष्परिणामों को बताने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य तथा अनैतिक व्यापार विरोधी दिवस मनाया गया। पुलिस थाना अबरडीन में व्यसन–रोधी शिविर का आयोजन किया गया इसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत तथा अन्य क्षेत्रों से व्यसनियों को डॉ.एच.विवेकानन्द स्वामी द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया । सभी पुलिस थानों में इन द्वीपों के युवाओं को शामिल कर रैली, वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा आम सभा का आयोजन किया गया। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो द्वारा निर्मित फिल्म 'सूई' हैवलॉक, हट बे, डिग्लीपुर तथा मायाबन्दर में तथा स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पोर्ट ब्लेयर में आम जनता के लिए इस फिल्म का प्रदर्शन तिरंगा पार्क में किया गया। इस फिल्म को 'सिटी टी.वी.' चैनल' के माध्यम से भी पोर्टब्लेयर में प्रदर्शित किया गया।

सातवाँ पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन प्रवर्तन मे लाया गया

संकट में फसे लोगों को तत्काल मदद पहुँचाने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा सातवाँ पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन को पुलिस थाना बम्बूफ्लाट क्षेत्र में आरंभ किया गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष कर्मी सहित यह वाहन विम्बर्लीगंज चौराहे पर तैनात किया गया है तथा विम्बर्लीगंज, बम्बूफ्लाट, फरारगंज तथा शोल बे क्षेत्रों का गश्त करेगा । इस वर्ष हैवलाक में एक तथा पोर्ट ब्लेयर तथा आसपास के क्षेत्रों में 4 अतिरिक्त पुलिस नियन्त्रण कक्ष वाहनों को शामिल किया गया है।

पुलिस द्वारा वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडा–फोड़

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा दक्षिण अण्डमान के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे तीन वेश्यावृत्ति गिरोहों का भंडा–फोड किया तथा तीन अलग अलग छापे में 14 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया ।

दिनांक 14 मई, 15 मई तथा 17 मई को अस्टीनाबाद, डेयरी फार्म तथा अबरडीन बाज़ार क्षेत्र में कमशः छापा मारा गया और प्रत्येक छापे के दौरान अभियुक्तों सहित दलालों को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस द्वारा 47 कि.ग्राम वजनी 7 अद्द प्रतिबंधित हाथी दाँत जब्त कर 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

अबरडीन पुलिस द्वारा विभिन्न आकार के 7 अद्द प्रतिबंधित हाथी दाँत जिसका कुल वजन 47 कि. ग्राम थाए जब्त किया गया। पुलिस के विशेष दस्ते द्वारा दिनांक 16–17 मई को आटम पहाड़, हैडो तथा स्कूल लाइन क्षेत्र में छापे मार कर इन वस्तुओं को जब्त किया गया । आठ अभियुक्तों, जो इन हाथी दाँतो को निषिद्ध बाजार में प्रलाभी मूल्य पर (10 लाख रूपयों से अधिक) बेचने की कोशिश कर रहे थे, को गिरफ्तार किया गया।

शोल बे क्षेत्र से चीरे हुए लकड़ी बरामद

शोल बे–19 में अनधिकृत रूप से भारी मात्रा में चीरे हुए पड़ॉक लकड़ी जमा होने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 06/06/2010 को वन विभाग के कर्मियों के समन्वयन से पुलिस चौकी विम्बर्लीगंज के दस्ते द्वारा विभिन्न आकार के 32 अद्द पड़ॉक लकड़ी बरामद किया गया।

मदक द्रव्य जब्त कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी

दिनांक 14/04/2010 को पुलिस उप अधीक्षक (अपराध अन्वेषण विभाग) के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष, केन्द्रीय अपराध शाखा तथा श्वान दस्ता के पुलिस बल ने गाराचरामा (काली मन्दिर के निकट) निवासी स्वर्गीय अब्दुल कादर के 33 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सुल्तान के घर छापा मारा तथा तलाशी के दौरान उसके परिसर स्थित नरियल पेड़ की जड़ के पास जमीन के भीतर छिपा कर रखे 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया। आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करने के बाद बरामद गांजा को पुलिस द्वारा जब्त किया गया तथा मौके पर ही अभियुक्त सुल्तान मोहम्मद को गिरफ्तार कर पुलिस थाना, केन्द्रीय अपराध शाखा में एन.ड़ी.पी.एस. अधिनियम 1985 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया।

प्राप्त सूचना के आधर पर श्री के.एस.पाबला, पुलिस उप अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक एस.के.सरकार, प्रभारी पुलिस थाना, केन्द्रीय अपराध शाखा के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा सत्य रंजन सरकार की तलाशी ली तथा उसके पास से एक थैले से कार्बन पेपर में लिपटा हुआ 3 कि.ग्रा. गाँजा तथा 1.200 कि.ग्रा.चाय पत्ती जब्त किया। सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उपरोक्त अभियुक्त सत्य रंजन सरकार, पुलिस थाना–बामंगला, जिला–माल्दा, वर्तमान में गुप्तापाड़ा निवासी को गिरफ्तार किया । जाँच के दौरान, यह पाया गया कि उसने यह गाँजा कोलकाता से गलत नाम पर कुरियर द्वारा पोर्ट ब्लेयर मंगाया गया था।

दिनांक 01/05/2010 को, पुलिस द्वारा छोलदारी (नींबू बगीचा) निवासी 20 वर्षीय स्वपन बेपारी के पास से 3.2 कि.ग्रा. अवैध गाँजा तथा 1 कि.ग्रा. चाय पत्ती बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । जाँच के दौरान पाया गया कि इस अभियुक्त ने भी गलत नाम पर कोलकाता से गाँजा कुरियर द्वारा पोर्टब्लेयर मंगाया था।

एक अन्य मामले में दिनांक 03/05/2010 को पुलिस द्वारा हट बे से एक कि.ग्रा. गाँजा जब्त किया

गया। यह सूचना प्राप्त होने पर कि पार्सल द्वारा हट बे में गाँजा लाया गया है, पुलिस द्वारा हट बे स्थित एक निजी कुरियर के शाखा कार्यालय पर छापा मारा तथा 500 ग्रा. का 2 पैकेट गाँजा बरामद किया। जाँच के दौरान पता चला कि रबिन्द्र नगर निवासी सजिद अली इस कुरियर का उपयोग अवैध गाँजा की ढुलाई के लिए करता था। पुलिस ने सजिद अली को गिरफ्तार किया।

दिनांक 21/06/2010 को थानाध्यक्ष, पुलिस थाना डिग्लीपुर श्री आर.एस.राठौर के नेतृत्व में पुलिस तथा भारत आरक्षी वाहिनी कर्मियों के एक दल ने स्मिथ द्वीप निवासी प्रभातदास, जीवन दास तथा प्रभात कुमार के पास से 80 कि.ग्रा. दुलर्भ ट्रोकस समुद्री सेल बरामद किया। इन अभियुक्तों ने उपरोक्त अवैध वस्तु को सागर द्वीप तट स्थित प्लास्टिक टिकी में रेत के नीचे दबा रखा था। अभियुक्तों को वन विभाग के प्राधिकारियों को अवैध वस्तुओं के साथ न्यायिक कार्यवाही के लिए सौप दिया गया।

पुलिस द्वारा 24 विदेशी घुसपैठियों को दबोचा

बम्बुका के प्रथम मुखिया से यह सूचना प्राप्त होने पर कि दिनांक 30/04/2010 को बम्बुका द्वीप के पास एक इंजन नौका में 15 विदेशी नागरिकों को देखा गया है, थानाध्यक्ष उप–निरीक्षक सोमेश्वर राव के नेतृत्व में पुलिस थाना तरेसा से एक दल इंजन नौका द्वारा बम्बुका द्वीप पहुँचा तथा घुसपैठ रोधी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान बहुत ही चालाकी से छिपाकर रखा हुआ तीन इंजन लगे 15 मीटर लम्बी, 3 मीटर चौड़ी, 02 मीटर गहरी इंजन डिंगी, एक अतिरिक्त इंजन, आक्सीजन सिलिन्डर, कन्प्रेसर, गियर बाक्स, प्रोपेलर फेन, डीज़ल भरे हुए प्लास्टिक गैलन, प्लास्टिक ड्रम, आक्सीजन ट्यूब इत्यादि के साथ बरामद किया गया । इस पुलिस बल की मदद के लिए नानकौड़ी तथा कार निकोबार में तैनात भारत आरक्षी वाहिनी, अग्निशमन तथा स्थानीय पुलिस भी पहुँची । बम्बुका के जंगल तथा तटीय इलाकों की गहन तलाशी अभियान के दौरान 14 बर्मी नागरिकों को दिनांक 03/05/2010 को जंगल से दबोचा गया । तुरंत बाद, उप निरीक्षक आर.सी.सिंह, थानाध्यक्ष पुलिस थाना नानकौड़ी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस तथा भारत आरक्षी वाहिनी के कर्मियों के दल तिलांग चांग द्वीप पर तलाशी अभियान के लिए निकले । प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पुलिस बल दिनांक 07/05/2010 को 5 और म्यांमारी तथा एक थाई नागरिक को गिरफ्तार करने में सफल हुआ । इस प्रकार पुनः दिनांक 12/05/2010 को 2 नौका सहित 4 अतिरिक्त म्यांमारी नागरिकों को दबोचा गया।

नशे में वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

दिनांक 1 अप्रेल 2010 से 15 अगस्त 2010 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वाले 340 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त इस अविधि के दौरान मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन करने पर 7115 वाहन चालकों का चालान कर उनसे 16,34,900/– रूपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया।

पुरस्कार

श्री जार्ज लालू

श्री बी. सैगल

स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर भारत आरक्षित वाहिनी के सहायक समादेशकों श्री जार्ज लालू तथा श्री बी. सैगल को उनके सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया।

श्री जयबालन सेन्थिल

श्री मनपाल सिंह

श्री जयबालन सेन्थिल, उप निरीक्षक, भारत आरक्षी वाहिनी तथा अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के सिपाही मनपाल सिंह को स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर उनके विशिष्ट सेवा तथा समपर्ण की भावना को ध्यान में रखकर उपराज्यपाल का प्रशास्ति पत्र प्रदान किया गया।

सेवा निवृत्ति

श्री विद्यासागर पोखरियाल, पुलिस उप अधीक्षक, श्री चितरंजन गारू, निरीक्षक, श्री के.आर.के पिल्लै, निरीक्षक, के सुदेवन, निरीक्षक(तकनीकि) श्री एम.के.अप्पाजी, प्रधान रेडियो प्रचालक, श्री त्रिवेणी पांडे, प्रधान सिपाही, श्री लाज़रूस केरकेट्टा, प्रधान सिपाही, श्री मोती राम, प्रधान सिपाही, श्री एन. राधा कृष्णा, प्रधान सिपाही, श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रधान सिपाही, श्री पारस नाथ मौर्या, प्रधान सिपाही, श्री शमशेर सिंह, प्रधान सिपाही, श्री लाल बिहारी यादव, प्रधान सिपाही, श्री स्टेनिस्लेस लकड़ा, प्रधान सिपाही, श्री गैबरियल सोरेंग, प्रधान सिपाही तथा श्री गंगा राम अनुचर रसोइया, दिनांक 1 अप्रेल 2010 से 30 जून, 2010 के

दौरान सेवा निवृत्त हुए । इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने उनके सम्मान में विदाई चाय पार्टी का आयोजन किया तथा उन्हें पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन भत्ता तथा स्मृति चिह्न भेंट कर उनके खुशहाल अवकाश प्राप्त जीवन की कामना की ।

हम उपरोक्त पुलिस कर्मियों को उनके द्वारा इन द्वीपों के लिए की गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करते हैं।

अगले तिमाही (जुलाई–सितम्बर 2010) के दौरान निम्न लिखित पुलिस कर्मी सेवा निवृत्त हो रहे हैं :–

जुलाई 2010

श्री रामेश्वर सिंह, निरीक्षक,
श्री दयाराम सिंह यादव, सहायक उप निरिक्षक,
श्री गन्ड्रू मिन्ज, प्रधान सिपाही तथा
श्री एस.बी.यादव, प्रधान सिपाही ।

अगस्त 2010

श्री वेनसिस, प्रधान सिपाही,
श्रीमती लिल्ली पुष्पी, महिला सिपाही तथा
श्री सत्यवेलू, सिपाही

सितम्बर, 2010

श्री चांगूर यादव, निरीक्षक,
श्री शेखरन पिल्लै, निरीक्षक,
श्री मूलचन्द यादव, उप निरीक्षक तथा
श्री के.आर.एस.नायर, सिपाही ।

सेवा संबंधी मामले

जून 2010 के दौरान 103 नव नियुक्त पुलिस सिपाहियों ने मूल प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, प्राथरापुर में उपस्थित हुए। प्रधान सिपाही पेंटर तथा 3 रेडियो प्रचालकों को क्रमशः अग्निशमन सेवा तथा पुलिस रेडियो संगठन में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया गया । इस तिमाही के दौरान, 3 उप निरीक्षक (कर्यकारी) को निरीक्षक, 1 प्रधान रेडियो प्रचालक को पर्यवेक्षक भण्डार, 1 पर्यवेक्षक तकनीकि को निरीक्षक (तकनीकि) तथा 1 रेडियो तकनीशियन को पर्यवेक्षक तकनीकि के पद पर पदोन्नत किया गया।

साथ ही 1 अप्रेल, 2010 से 15 अगस्त, 2010 के दौरान 1 सहायक उप निरीक्षक, 1 सिपाही और 1 महिला सिपाही को सेवा से बर्खास्त किया गया, 1 उप निरीक्षक को सेवामुक्त किया गया, 1 निरीक्षक ,1 उप निरीक्षक, 1 सहायक उप निरीक्षक, 3 प्रधान सिपाही, 5 सिपाही तथा 1 अनुचर संदेश वाहक को निलंबित किया गया तथा 1 प्रधान सिपाही, 4 सिपाही, 1 महिला सिपाही तथा 1 अनुचर दर्जी को दंडित किया गया।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस आचार संहिता तथा नीतिशास्त्र

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के कर्मी :–

1. सदैव इमानदारी से वर्ताव करे, जो अण्डमान तथा निकोबार पुलिस बल के अच्छे नाम व प्रतिष्ठा को बनाए रखे, भले ही आप ड्यूटी पर हो अथवा नहीं।
2. ड्यूटी पर सावधानी तथा कर्तव्यनिष्ठा दिखायें।
3. पुलिस ड्यूटी से संबंधित नीतियों, प्रकियाओं तथा विनिर्देशों की जानकारी रखें तथा उनका अनुपालन करें।
4. सभी के साथ आदर, शिष्टाचार तथा निष्पक्षता से पेश आएं।
5. अण्डमान तथा निकोबार पुलिस बल के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधि सम्मत तथा उचित निर्देशों का पालन करें।
6. कानून का पालन करें, आप ड्यूटी पर हो अथवा नहीं।
7. स्वार्थों का टकराव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं पर जिन्हें टाला नहीं जा सकता उसकी शिकायत करें।
8. अण्डमान तथा निकोबार पुलिस बल द्वारा अनुमत तथा ड्यूटी की आवश्यकता अनुसार ही गुप्त सूचना तक पहुँचें तथा प्रयोग अथवा प्रकट करें।
9. अपने पद अथवा अण्डमान तथा निकोबार बल से संबंधित सूचना अथवा श्रोतों का दुरूपयोग न करें।

   तथा सबसे महत्वपूर्ण

10. अण्डमान तथा निकोबार पुलिस बल से किसी अन्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे दुराचार की सूचना दें तथा इनको हतोत्साहित करें।

आचार संहिता तथा नीतिशास्त्र का अनुपालन न करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सम्पादक : डॉ. पी. करूणाकरन, भा.पु.से.
(पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय)